

URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(29)ग्रावि/नरेगा/पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 8 FEB 2010

- 1-समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- 2-समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

विषय :- नरेगा कार्यो की यू0सी0 एवं रिकार्ड संधारण अभियान के सम्बन्ध में ।
प्रसंग- इस विभाग का सम संख्यक पत्र दिनांक 04 नवम्बर,2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें आपको यह निर्देश दिये गये थे कि ग्राम पंचायत व लाईन विभागों को उपलब्ध करवाई गई अग्रिम राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करें, परन्तु दिये गये निर्देशों की, आज दिनांक तक अनुपालना रिपोर्ट अपेक्षित है ।

यह सुनिश्चित करें कि कार्यकारी एजेन्सीज को पूर्व में जारी की गई राशि के समायोजन उपरांत ही अग्रिम राशि (सिवाय श्रम-मद के) हस्तान्तरित की जावे। पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में लाईन डिपार्टमेंट एवं पंचायतों को दिनांक 31.12.09 तक जारी राशि के समायोजन की स्थिति से करवाते हुए, की गई कार्यवाही की प्रगति मय टिप्पणी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय



(सी0एस0राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, ईजीएस।
5. अधिशाषी अभियंता (वी) ईजीएस को वेब साईट पर अपलोडिंग करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

7 मुख्य लेखाधिकारी ई.जी.एस.

5/2/10
परियोजना निदेशक, ईजीएस